[श्री हुकुमदेव नारायण यादव]

IV (क) 1989-90 के वर्ष के लिये सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई का छत्तीसवा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षको के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) परिषद् के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई। (क) और (ख) के लिए देखिए सं०-एल०टी०-1625/91]

V (क) 1989-90 के वर्ष के लिये सिथेटिक एण्ड रेयान, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखा-परीक्षको के प्रतिवेदन सहित ।

(ख) काउंसिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (क) और (ख) के लिए देखिए संख्या-एल०टी-1626/91]

I Report and Accounts (1989-90) of the Modern Food Industries (India) Limited, New Delhi and related papers.

II. Reports and Accounts (1989-90) of the Textile Committee, Bombay and related papers.

श्री हुकुमदेव नारायण यादव : श्रीमन्, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी मे) भी सभा पटल पर रखता हूं:-

I (i) 1989-90 के वर्ष के लिये मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ii) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । (i) और (ii) के लिये देखिये संख्या---एल०टी-1601/90]

II. टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

(i) 1989-90 के वर्ष के लिये टेक्सटाइल, कमेटी, मुम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओ पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन सेहित ।

(ii) कमेटी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय मे रखी गई । (i) और (ii) के लिये देखिए संख्या---एल०टी-1624/91]

I. Ordinances under article 123 (2) (a) of the Constitution.

II Order withdrawing the Finance (Amendment) Ordinance, 1990 (No 6 of 1990).

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी मे):—

(i) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्याक 6) [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सख्या-1553/91]

(ii) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्यांक 7) । [पुस्तकालय में रखीगई। देखिए संख्या एल टी-1554/90]

(iii) राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्तूबर 1990 को प्रख्यापित वित्त (दूसरा

संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्यांक 8)। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी०-1555/90]

(iv) राष्ट्रपति द्वारा 19 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद (क्षेत्र का अर्जन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्यांक 9), उस पर वृद्धि पत्र सहित। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी०-1556/90]

(v) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्तूबर, 1990 को प्रख्यापित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद (क्षेत्र का अर्जन) प्रत्याहरण अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्यांक 10)। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी०-1557/90]

[पुस्तकालय में रखी गई। (i) से (v) तक के लिये देखिये संख्या एल०टी०]

II. संविधान के अनुछेद 123 (2) (ख) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्यांक 6) को वापस लेने वाले दिनांक 15 अक्तूबर, 1990 के आदेश की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० -1558/90]

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) in the Chair].

श्री सरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : महोदय, मैंने एक प्रतिवेदन चेयरमैन साहब को दिया था उसके बारे मे मैं कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : वह कंसीडर होगा।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया . उन्होंने कहा था कि जब पेपर ले करेंगे उस वक्त होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) यह नहीं था।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : यह आर्डिनेंस के बारे में है। जो आर्डिनेंस बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि की जमीन को अक्वायर करने के लिये विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने पास किया था, वह उन्होंने इस देश की 85 करोड जनता के साथ केवल धोखा ही नही किया बल्कि इस देश के सबसे बड़े उच्च पद राष्ट्रपति के साथ भी धोखा करने की कोशिश की है। उन्होंने 19 अक्तूबर को आर्डिनेंस पास किया...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Hon. Member will note that this is not permitted by the Chair.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I was informed by the office that I can raise my point during laying of papers.

वह 85 करोड़ जनता के साथ, भारत की जनता के साथ धोखा करते रहे, खिलवाड़ करते रहे। इसके साथ साथ बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि की जमीन को लेकर इन्होंने एक और खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ करके किया और 19 अक्तूबर को इन्होंने एक अंदरूनी फैसला आडवाणी जी के साथ किया और कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कार सेवा के लिये चलेंगे और ऐसी बात करके यह आर्डिनेंस पास कर देते हैं। दूसरे समुदाय अर्थात मुसलमानों को कांफिडेंस में लिये बगैर यह आर्डिनेंस पास किया गया और कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 का दुरुपयोग किया गया। महोदय, जिस वक्त यह आर्डिनेंस पास किया गया था उस समय बम्बई से जहाजो में लोगों को भरकर लाया गया और अनेक्सी मे मीटिंग की गई और उसको दूरदर्शन पर दिखाया गया। उसमें उस आर्डिनेंस के पक्ष में बड़े बड़े भाषण करवाये गये। दिलीपकुमार से लेकर जो वहा पर हीरो-हीरोइन को मेकअप करते हैं, उनको बुलाया गया और उनसे इस आर्डिनेंस के पक्ष में भाषण करवाये गये। उसके बाद 23 तारीख को अचानक यह आर्डिनेंस वापस लिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार और राष्ट्रपति जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हू कि आइंदा से इस तरह किसी आर्डिनेंस का दुरुपयोग न हो इसके लिये

पहले कम से कम उनको पहले इस बारे मे जानकारी हासिल कर लेनी चाहिये कि सरकार ने दोनों पार्टियों से बात की है या नही की है। बिना कोई बात किये आर्डिनेंस पास करके पूरे मुल्क को विध्वंस करने की साजिश विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की है जो कि यहा के लोगो के जनतात्रिक अधिकारो पर एक बड़ा कलक का धब्बा है। मै आपके माध्यम से इस प्रतिवाद को जाहिर करता हूं और मैं चाहता हू कि सरकार को राष्ट्रपति महोदय को बताना चाहिये कि आर्टिकल 123 को मिसयूज करने का जो तत्कालीन सरकार ने घिनौना काम किया है उसकी भर्त्सना होनी चाहिये। धन्यवाद।

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Sir, I have given a notice in relation to the Proclamation issued by the President under article 356 of the Constitution in relation to the State of Assam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That will be discussed, I believe.

SHRI DINESH GOSWAMI: I will make my point briefly. Sir, the Proclamation was issued just on the eve of the election when the Election Commission was ready for the election and the State Government informed the Election Commission that the atmosphere was ripe for it This is for the first time when the periodicity of elections has been violated by a Government and the President's rule has been proclaimed This has laid down a dangerous precedence from the point of view of destroying the democratic and federal polity of the country because the ruling party at the Centre feels that at a particular time election prospects are not good... they are entitled now to postpone an election and impose President's Rule. The President's Rule today has led to a lot of atrocities, more alienation of the Assamese people, more alienation of the people of the State, leading to a violent situation. Therefore, I strongly oppose it and make all these submissions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): When the Proclamation can be discussed...

SHRI VISHVJIT PRITHVIJIT SINGH (Maharashtra): I strongly oppose it. In the State of Assam they have split the people, there is a coterie...

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Order, please.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): In Assam, the AGP Government...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can discuss it..

SHRI V NARAYANASAMY. They supported the ULFA.

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): ULFA was created during the Congress time.

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): May I request the honourable Members, please... (*Interruptions*)... Mr. Narayanasamy, please take your seat.

SHRI DINESH GOSWAMI: Let the people of the State decide ... (*Interruptions*). I oppose laying of the Proclamation and I walk out.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): We condemn it and walk out.. (*Interruptions*)..

(*At this stage some hon. Members left the Chamber*)

I. Report and Accounts (1989-90) of the Projects and Development India Limited Dhanbad and related papers.

II. Report and Accounts (1989-90) of the Fertilizer Corporation of India Limited, New Delhi and related papers.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Sir, on behalf of Shri Ram Bahadur Singh I also lay on the Table a copy each (in